न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017
ग्राम पंचायत भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 109 / 15

1.	भवानी बाई पुत्री बाल्या पत्नी देवी लाल
2.	बरधी बाई पुत्री बाल्या पत्नी रामचन्द्र
3.	सकरी बाई पुत्री बाल्या पत्नी भंवरलाल
4.	भूली बाई पुत्री बाल्या पत्नी रतनलाल
	निवासीगण ग्राम खेडाजगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादीगण)
	बनाम
1–2.	कजोड, प्रभू पुत्रान कंवरिया, जाति भील
3.	रामनाथी पुत्री कंवरिया
4.	देव्या मृतक कायम मुकाम –
4 / 1	गोपाल पुत्र स्व. देव्या
4 / 2	रामलाल पुत्र स्व.त्र देव्या
	जाति भील, निवासीगण पुन्या देवरी (रानपुर), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5–6.	माधो, काल्या पुत्रान छोटू
7.	छीतरी पुत्री रामलाल
8.	सोसर बेवा रामलाल
	जाति भील, निवासीगण ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
9.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
	(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 11.05.2017

राज्य सरकार की ओर से संचालित न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भंवरिया के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादीगण की ओर से पेश किये गये वाद पत्र के अनुसार वादिनीगण के पिता श्री बाल्या आत्मज शंकर, जाति भील की शामलाती खाते की आराजीयात ग्राम मन्दरगढ, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में संवत 2016–2024 में आराजी खसरा नं. 122 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा बारानी बहरम व खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 2 किता की 16 बीघा 8 बिस्वा थी, जो खातेदार कंवर्या, छोटे, बाल्या पिसरान शंकर के शामलाती खाते में दर्ज थी। उक्त आराजी बदस्तूर वादीगण के पिता बाल्या तथा कंवर्या व छोटू पिसरान शंकर की खातेदारी में संवत 2027–2030 तक दर्ज रही। इसके पश्चात

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर

संवत 2038–2057 में सेटलमेन्ट कार्य किया गया जिसमें उक्त आराजी के नये खसरा नं. 152 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नं. 155 रकबा 0.50 हैक्टर व खसरा नं. 165 रकबा 2.13 कुल 3 किता रकबा 3.00 हैक्टर कायम किया गया। जमाबन्दी संवत 2038–2057 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कंवर्या व छोटू का ही नाम दर्ज किया तथा बाल्या का नाम हटा दिया तथा वर्तमान की जमाबन्दी में भी कंवर्या व छोटू के वारिसान का नाम ही अंकित चला आ रहा है। अतः विवादित आराजी में वादिनीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादिनीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है और लम्बे समय से काबिज काश्त रहे है। दौराने वाद प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश वर्ष 2005 के बाद से ही पुत्रियों को अधिकार दिये गये है। उक्त प्रार्ना पत्र इस तर्क के साथ खारिज कर दिया गया कि सेटलमेन्ट के पूर्व चूंकि बाल्या तथा कंवर्या व छोटू पिसरान शंकर विवादित आराजी के सहखातेदार थे तथा बाल्या के पुत्र सन्तान नहीं थी, तब भी बाल्या का हक व अधिकार समाप्त नहीं माना जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य के पुत्र सन्तान नहीं होने पर पुत्री सन्तानों को भी पुत्र के समान ही उत्तराधिकार के समस्त अधिकार प्राप्त होगें। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों से विवादित आराजी का पैतृक आराजी होना पूर्णतः सिद्ध हो रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम मन्दरगढ, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के विवादित खसरा नं. 152 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नं. 155 रकबा 0.50 हैक्टर व खसरा नं. 165 रकबा 2.13 कुल 3 किता रकबा 3.00 हैक्टर आराजी में वादिनीगण क्रम 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 एवं 7 व 8 को 1/3 तथा प्रतिवादी क्रम 5 व 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की विवादित पैतृक आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थित में विभाजन प्रस्ताव पेश करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.05.2017 को ग्राम भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
न्याय आपके द्वार–2017
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–डोल्या

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिकारी कलक्टर
कैम्प भंवरिया

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

ग्राम पंचायत भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

1. भवानी बाई पुत्री बाल्या पत्नी देवी लाल
2. बरधी बाई पुत्री बाल्या पत्नी रामचन्द्र
3. सकरी बाई पुत्री बाल्या पत्नी भंवरलाल
4. भूली बाई पुत्री बाल्या पत्नी रतनलाल

निवासीगण ग्राम खेडाजगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादीगण)

बनाम

1–2. कजोड, प्रभू पुत्रान कंवरिया, जाति भील
3. रामनाथी पुत्री कंवरिया
4. देव्या मृतक कायम मुकाम –
4/1 गोपाल पुत्र स्व. देव्या
4/2 रामलाल पुत्र स्व.त्र देव्या

जाति भील, निवासीगण पुन्या देवरी (रानपुर), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5–6. माधो, काल्या पुत्रान छोटू
7. छीतरी पुत्री रामलाल
8. सोसर बेवा रामलाल

जाति भील, निवासीगण ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 109 / 15
निर्णय दिनांक : 11.05.2017

न्याय आपके द्वार–2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 11–05–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम मन्दरगढ, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के विवादित खसरा नं. 152 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नं. 155 रकबा 0.50 हैक्टर व खसरा नं. 165 रकबा 2.13 कुल 3 किता रकबा 3.00 हैक्टर आराजी में वादिनीगण क्रम 1 लगायत 4 को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 एवं 7 व 8 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी क्रम 5 व 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की विवादित मैतूक आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थित में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 11.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहनलाल प्रतिहार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अधिशासी कलक्टर
केम्प भंवरिया

Contd .....Next